कार्यालय,

टी०ए० मिस केस सं० 13/2020-21

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
11/2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदक विक्रेता **श्री चोकरो देवगम, पिता– स्व० गोसा देवगम,** ग्राम– **दुम्बीसाई,** थाना– **मुफ्फसिल,** जिला– **पश्चिमी सिंहभूम** चाईबासा ने मौजा– **दुम्बीसाई,** थाना नं०– **643,** खाता नं०– 10, प्लॉट नं०– 360, 361 **क्रमशः रकवा– 06 डी० 088 वर्गकड़ी, एवं 03 डी० 030 वर्गकड़ी, कुल रकवा–09 डी० 118 वर्गकड़ी** भूमि क्रेता **कुमारी नमिता पुरती, पिता– स्व० तुरी पुरती,** ग्राम– **तोलगायसाई,** थाना– **मुफ्फसिल** के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दास्तावेज प्रस्तुत किया गया। दास्तावेज के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि **आवदित भूमि आवेदक के पिता के मृत्यु के पश्चात् प्राप्त हिस्से की भूमि को उत्तराधिकारी नामान्तरण वाद संख्या–547/2019–20 के द्वारा नामान्तरण स्वीकृत है।** आवेदक का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्ण दखल है। अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–1096, दिनांक– 05.11.2020 एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चिकित्सा हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू–खण्ड को क्रेता **कुमारी नमिता पुरती, पिता– स्व० तुरी पुरती,** ग्राम– **तोलगायसाई,** थाना– **मुफ्फसिल** के पास बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ईलाका मानकी का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 2.50 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू–सम्पति समुचित है। अतः अंचल अधिकारी, सदर चाईबासा एवं ईलाका मानकी के अनुशंसा के आलोक में विक्रेता **श्री चोकरो देवगम, पिता– स्व० गोसा देवगम,** ग्राम– **दुम्बीसाई,** थाना– **मुफ्फसिल,** क्रेता **कुमारी नमिता पुरती, पिता– स्व० तुरी पुरती,** ग्राम– **तोलगायसाई,** थाना– **मुफ्फसिल** के पास जमीन को कुल **11,00,000.00/– (ग्यारह लाख रुपये)** में मौजा– **दुम्बीसाई,** थाना नं०– **643,** खाता नं०– 10, प्लॉट नं०– 360,361 **क्रमशः रकवा– 06 डी० 088 वर्गकड़ी, एवं 03 डी० 030 वर्गकड़ी, कुल रकवा–09 डी० 118 वर्गकड़ी भूमि** को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की अनुमति दी जाती है। लेखापित 15/11 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा। 15/11/2020 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता सदर चाईबासा।	

Kumar Sen Gupta
a nath Pandey
Budhram Pradhan
Dharni Dhar nag
Amar Ba